::: कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0) :::

//आदेश//

क्रमांक– 94 /दो–12–10/2014 कोण्डागांव, दिनांक 30.11.2023

सिविल जिला स्थापना कोण्डागांव के चयन समिति द्वारा प्राप्त चयन सूची के आधार पर **श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री रामपाल ठाकुर**, उम्र–28 वर्ष निवासी–वार्ड नं. 02 शांतिनगर, बागबाहरा, जिला–महासमुंद (छ0ग0) को सहायक प्रोग्रामर के पद पर वेतनमान 38100–120400/– (वेतन मैट्रीक्स लेवल–9) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन उसके कार्यभार ग्रहण तिथि से नियुक्त किया जाता हैः–

शर्ते–

01. नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेगा।
02. नियुक्त कर्मचारी आज्ञाकारिता में उत्कृष्ठ मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा रखेगा।
03. नियुक्त कर्मचारी 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार आवश्यक रूप से ग्रहण करेगा। उक्त अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह माना जावेगा कि उक्त पद पर कार्य करने का आवेदक इच्छुक नहीं है तथा उक्त दशा में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
04. आवेदक अपने कार्य पर उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह शासकीय सेवा या पद के कर्त्तव्य पालन में बाधा डालने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
05. चरित्र सत्यापन में यदि आवेदक सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी शासकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
06. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
07. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।
08. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी समय असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर आवेदक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही आवेदक के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।
09. आवेदक को कार्यभार ग्रहण करते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 के अनुसार अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
10. नियुक्त कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करते समय अपने संपूर्ण दस्तावेज जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है, की मूल प्रति एवं उनकीं एक–एक छायांप्रति स्व–प्रमाणित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा।

30.11.2023

(उत्तरा कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव (छ0ग0)

01C

पृ0 क्रमांक–1797/ दो–12–10 / 2014 कोण्डागांव, दिनांक 30.11.2023

प्रतिलिपि–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बस्तर संभाग, जगदलपुर (छ0ग0),

03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0),

04. पुलिस अधीक्षक, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0),

05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय–कोण्डागांव (छ0ग0),

06. लेखापाल कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव (छ0ग0),

07. श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री रामपाल ठाकुर, उम्र–28 वर्ष निवासी–वार्ड नं. 02 शांतिनगर, बागबाहरा, जिला–महासमुंद (छ0ग0),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30.11.2023

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव (छ0ग0)